न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 102/2019
GCMS NO. : 2019/00139

–:: प्रार्थीगण ::–

1. लिखमाराम पुत्र दीपाराम के कायम मुकाम
   1/1. दिनेश कुमार पुत्र लिखमाराम
   1/2. सुखाराम पुत्र लिखमाराम
   1/3. दुदाराम पुत्र लिखमाराम
   1/4. मोहनी देवी पत्नी लिखमाराम
2. पोकरराम पुत्र दीपाराम के कायम मुकाम
   2/1. तेजाराम पुत्र पोकरराम
   2/2. गणपतलाल पुत्र पोकरराम
3. जगाराम पुत्र दीपाराम
4. पांचाराम पुत्र दीपाराम
5. कालूराम पुत्र दीपाराम
6. नोरतमल पुत्र छोटूराम
7. कमला देवी पत्नी छोटूराम

सभी जातियान– माली, निवासीगण– जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान,

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. लिछमण पुत्र धोकल जाति– माली निवासी– जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व सपठित आदेश 40 नियम 01 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

तारीख रजू: 27/06/2019

उपस्थित:–

1. श्री श्याम लाल तंवर, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– दिनॉक: 23/12/2021

वकील मय प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व सपठित आदेश 40 नियम 01 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत् इस [illegible] पेश किया कि प्रार्थीगण एक वाद बंटवाड़े का व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना [illegible] के न्यायालय में उपरोक्त अनवान का पेश किया है। जिसमें सफलता की पूरी पूरी सम्भवना है। सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू.अभि. निरीक्षक. जैतारण तहसील जैतारण में प्राथीगण की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी [illegible] कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 750 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 751 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 752 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 753 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 754 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 805

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी

रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 807 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा कुल खसरा 07 कुल रकबा 68 बीघा 09 बिस्वा की भूमि आई हुई है। जिसे बेरा दुजेडिया के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त कृषि भूमि में अप्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है व सभी प्रार्थीगण 1/2 हिस्सा है। लेकिन उक्त भूमि का बिना बंट्वाड़ा करवाये अप्रार्थी गैरकानूनी रूप से जबरन फसल बोते है पेड़ काटते हैं व तारबन्दी करते है। पट्टी रोपते है तथा गेट लगाकर के प्रार्थीगण का रास्ता रोकते है इस प्रकार से उक्त भूमि की प्रकृति में बदलाव कर रहे है। जबकि उनका ऐसा करने का कानूनी कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है तथा उक्त भूमि पर 100-100 व्यक्तियो की गेंग लगाकर उक्त भूमि 37.10 3312की सतह को नष्ट करने पर आमाद है जिसे प्रार्थीगण पूरी तरह से प्रभावित है। ऐसी परिस्थितियो में में उक्त भूमि को न्यायालय की तहवील में लेने के अलावा अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं होने से श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित भूमि को कुर्क कर रिसीवर नियुक्त किया जावें व रिसीवर से निलाम बोली से उक्त भूमि पर काश्त करवाई जावें।।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो सामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी ने जवाबप्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि दरख्वास्त के पैरा संख्या 1 का जवाब है कि प्रार्थीगण द्वारा गलत व विधि विरुद्ध बंट्वारे का वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, क्योकि वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में एक राजस्व वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया, जो राजस्व वाद संख्या 50/2010 था, जिसमें उपरोक्त सभी पक्षों ने लिखित में राजीनामा मय 3 वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में मौका की स्थिति के संबंध में एवं पक्षकारान मौके पर जिस अनुरुप काबिज है, के बंट्वारा बाबत दिनांक 04.02.2015 को प्रस्तुत किये गये जो राजीनामा तस्दीक किया और उक्त राजीनामा व मौके पर किये गये बंट्वारा के नक्शे बाबत न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14.03.2015 को उक्त वाद संख्या 50/2010 में निर्णय व डिक्री किया गया जो निर्णय व डिक्री अन्तिम हो चुकी है। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में उक्त प्रकरण के पक्षकारान मौके पर जिस अनुरुप काबिज है, उसी अनुरुप राजीनामा के साथ व मौके की स्थिति का नजरी नक्शा अपने-अपने हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान कर [illegible] द्वारा निर्णय व डिक्री जारी की प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय [illegible] इसलिए प्रार्थीगण द्वारा नये सिरे से राजीनामा व न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध बंट्वारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दायर किया है, [illegible] वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध है। राजीनामा मय तस्दीक एवं वादग्रस्त कृषि भूमि का बंट्वारा का नक्शा एवं निर्णय व डिक्री की प्रतिया पहले से ही रेकर्ड पर पेश कर रखी है। दरख्वास्त के पद संख्या 2 का जवाब है कि वादग्रस्त कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जिसे बेरा दुजेडिया के नाम से जाना जाता है, उक्त भूमि में अप्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा व अधिकार है, व अप्रार्थी अपने 1/2 हक , हिस्से की भूमि पर वक्त सेटलमेंट से लेकर आज तक लगातार शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि आपसी सहमति से बंटी हुई है, प्रार्थीगण ने अनावश्यक आधारहीन झूठे एवं मनगढ़त कथनो का समावेश कर, केवल मात्र अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तु किया गया है। दरख्वास्त के पद संख्या 3 का जवाब है कि वादग्रस्त कृषि भूमि आपसी सहमति से एवं माफिक राजीनामा व राजीनामा के साथ प्रस्तुत बंटवारे के नक्शे अनुसार एवं निर्णय व डिक्री के आधार से दोनों पक्षों के मध्य बंटवारा हो रखा है। सभी पक्ष मौके पर अपने अपने हक हिस्से एवं अधिकार की भूमि पर काबिज है, व उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा इस पद में जो कथन उल्लेख किये है, उनके आधार से वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में रिसीवर नियुक्त करने एवं वादग्रस्त कृषि भूमि को कुर्क करने के कोई आधार नहीं है। फसल बोना, तारबन्दी करना, पट्टिया रोपना, कृषि भूमि की प्रकृति में बदलाव करने की श्रेणी में नहीं आता है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसे कोई आधार अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किये है। जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी भूमि की प्रकृति में बदलाव कर रहा है। प्रार्थीगण द्वारा अपने इस पद में यह कथन उल्लेख करना कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण का रास्ता रोकते है कतई गलत व नामंजूर है, क्योंकि इस बाबत प्रार्थीगण द्वारा कोई भी आपराधिक रिपोर्ट किसी भी पुलिस थाना या किसी भी सक्षम कार्यालय में आज तक प्रस्तुत नहीं की है। हालांकि रास्ता रोकना भूमि को खुर्द – बुर्द करने की श्रेणी में नहीं आता है। प्रार्थीगण केवल मात्र बिना कोई साक्ष्य सबूत पेश किये जुबानी, झूठे मनगढ़त तथ्यों का समावेश कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो काबिले खारिज के है। दरख्वास्त के पद संख्या 4 का जवाब है कि इस पद में वर्णित तमाम कथन गलत व झूठे, मनगढ़त आधारहीन होने से अप्रार्थी स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है। अप्रार्थी 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है तथा अधिकांशतः बीमार रहता है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा उक्त पद में लगाये गये आरोप कि अप्रार्थी द्वारा 100–100 व्यक्तियों की गेंग लगाकर उक्त भूमि की सतह को नष्ट करने पर आमादा है, कतई गलत व नामंजूर है। यहा पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दोनों पक्षों के मध्य वादग्रस्त कृषि भूमि को लेकर आज तक कोई भी आपराधिक कार्यवाही नही हुई तथा न ही कोई आपराधिक घटना हुई वरन् धारा 107, 116(3) सीआरपीसी की भी कोई कार्यवाही नहीं हुई प्रार्थीगण केवल मात्र अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से यह [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो मय खर्चा खारिज फरमाये। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

बहस उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया और विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुए संगत विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रावधानें का अवलोकन किया। हम प्रकरण का बिंदूवार निम्नानुसार विवेचन एवं निर्णयन करना आवश्यक समझते हैः-

1. ***प्रथम दृष्ट्या मामला*** :- पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व सपठित आदेश 40 नियम 01 व धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू.अभि. निरीक्षक. जैतारण तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 750 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 751 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 752 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 753 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 754 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 805 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 807 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा कुल खसरा 07 कुल रकबा 68 बीघा 09 बिस्वा की भूमि, जमाबंदी के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की संयुक्त शामलाती अविभाजित आराजी है तथा जिसके कानूनन बंटवाड़ा बाबत् प्रार्थीगण की और से वाद दायर किया गया, जो विचाराधीन है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है तथा शेष 1/2 हिस्सा अप्रार्थी का हैं। प्रार्थीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी का बिना बंटवाड़ा करवाये वादग्रस्त आराजी में फसल बोने, पेड़ काटने, तारबन्दी करनें व भूमि की प्रकृति का बदलाव करनें का कार्य बलपूर्वक कर रहे है। जिससे प्रार्थीगण पूर्णतया प्रभावित है अतः वादग्रस्त आराजी को कुर्क रिसीवर नियुक्त किया जावें व रिसीवर से निलामी से काश्त करवाई जावें।

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र व कथन बेबूनियाद व अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में एक राजस्व वाद 50/2010 घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिसमें उभयपक्षकारान् के मध्य राजीनामा से दिनांक 14.03.2015 को अंतिम से रूप से निर्णित कर डिक्री किया गया। न्यायालय हाजा में पक्षकारान् द्वारा तत्समय प्रस्तुत राजीनामा व नजरी नक्शे के अनुरूप ही अप्रार्थी मौके पर काबिज है। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा कोई अपराधिक रिपोर्ट किसी भी पुलिस थाना एवं सक्षम न्यायालय में आज दिनांक तक पेश नहीं की गई है। अप्रार्थी 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है जो अधिकांशत् बीमार रहता है। अतः अप्रार्थी द्वारा दलबल के प्रयोग का कथन गलत है। अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं होने से काबिल खारिज है।

प्रार्थनापत्र एवं जवाब प्रार्थनापत्र तथा पत्रावली प[illegible]पलब[illegible]स्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट हे कि अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से [illegible] खातेदार है तथा इसी आराजी के सम्बन्ध में उभयपक्षकारान् [illegible] में वाद संख्या 50/2010 में बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा परस्पर राजीनामा [illegible] दिनांक 14.03.2015 को निर्णित डिक्री हो चुका था। उक्त राजीनामा में उभयपक्षकारान् द्वारा हस्ताक्षरित वादग्रस्त भूमि का नजरी नक्शा भी पेश किया गया था जो राजीनामा का भाग था। अप्रार्थी द्वारा मौके की प्रस्तुत फोटोग्राफस् से भी इसकी पुष्टि होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज व विश्वसनीय तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह स्पष्ट हो कि अप्रार्थी द्वारा वास्तव में ऐसी आत्यंतिक परिस्थितियां उत्पन्न कर दी है, जिससे की यदि न्यायालय हाजा द्वारा तत्काल वादग्रस्त आराजी को कुर्क कर रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया तो अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी की मौका स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जावेगा तथा कृषि भूमि की उत्पादकता एवं उपयोगिता तथा प्रार्थीगण के हक हिस्से एवं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित हो। प्रार्थीगण द्वारा केवल प्रार्थनापत्र में कथन कर देने के मात्र से वादग्रस्त आराजी को कुर्क किया जाना व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है।

2. ***सुविधा का संतुलन*** :- चूंकि पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी की अविभाजित आराजी है, तथा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में सहखातेदारान के मध्य पूर्व में राजीनामा से वाद बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा निर्णित हो चुका है। सहखातेदारी भूमि के सम्बन्ध में प्रत्येक सहखातेदार का उसके हक-हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके हक में निहित होता है। अतः सुविधा का संतुलन केवल प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित होना साबित नहीं होता है।

3. ***अपूर्णनीय क्षति*** :- पूर्व विवेचित दोनों बिंदू सभी सहखातेदारान के पक्ष में स्थापित हुए है। वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान की संयुक्त-अविभाजित आराजी है, जिसके प्रत्येक सहखातेदार को अपने हक-हिस्से तक अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग का पूर्ण अधिकार होता है। पूर्व निर्णित दोनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुये है, अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरुद्ध स्थापित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र वजूही साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212(2), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता सपठित आदेश 40 नियम 01 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वजूही साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:11 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 23/12/2021 को खुले इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड [illegible]
[illegible] (पाली)